

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 157/2010/अलवर

अपील संख्या 158/2010/अलवर

मैसर्स राज सोलैवैक्स लिमिटेड
अलवर

अपीलार्थी

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी
घट-प्रथम, वृत्त-बी, भिवाडी, अलवर

प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री सुनील शर्मा, सदस्य

उपस्थित

श्री अलकेश शर्मा
अभिभाषक
श्री रामकरण सिंह
उप राजकीय अभिभाषक
निर्णय दिनांक: 29.10.2015

अपीलार्थी की ओर से
प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय

ये दोनों अपीलें अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से उपायुक्त (अपील्स) प्रथम, वाणिज्यिक कर विभाग, अलवर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 1606 व 1608/उपा/अपील्स/प्रथम/अल/आरएसटी/99-00/10 में पारित पृथक-पृथक आदेश दिनांक 29.12.2009 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई हैं, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-प्रथम, वृत्त-बी, भिवाडी, अलवर (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 78 (5) सपठित राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे वैट-अधिनियम कहा जायेगा) के अन्तर्गत पृथक-पृथक आदेश दिनांक 03.01.2000 को पारित कर कमश: रु. 1,40,481/- एवं रु. 1,41,570/- शास्तियाँ आरोपित की है, को यथावत रखा है। चूंकि दोनों अपीलें एक ही व्यवहारी से सम्बन्धित होने तथा समान बिन्दु निहित होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रतियाँ पृथक-पृथक पत्रावलियों पर रखी जाये।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 01.01.2000 को वाहन संख्या जीजे 12वी/6257 एवं वाहन संख्या जीजे 12वी/9770 को भिवाडी अलवर रोड पर जोकर जाकर चेक किया गया। वक्त चेकिंग वाहन में लदे माल से सम्बन्धित सम्बन्धित दस्तावेज मांगे जाने पर वाहन चालकों ने बिल एवं बिलिट्यों के साथ घोषण पत्र एस टी 18ए संख्या 20427/17 एवं 20427/18 प्रस्तुत किये, जिनके समस्त कॉलम्ब रिक्त थे। कर निर्धारण अधिकारी ने वक्त चेकिंग रिक्त घोषणा पत्र प्रस्तुत किये जाने के कारण अधिनियम की धारा 78 (2)(ए) सपठित नियम 53 का उल्लंग होने से कारण बताओ नोटिस जारी किये गये। जारी नोटिस की पालना में प्रस्तुत उत्तर को

सन्तोषप्रद नहीं मानते हुए अधिनियम की धारा 78 (5) के अन्तर्गत कमशः रु. 1,40,481/- एवं रु. 1,41,570/- की शास्तियाँ आरोपित कर दी। उक्त आरोपित शास्तियों से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत करने पर उन्होंने आरोपित शास्तियों को यथावत रखते हुए अपीलाधीन आदेश पारित कर अपीलें अस्वीकार कर दी। अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश से असन्तुष्ट होकर ये दोनों अपीलें प्रस्तुत की गई हैं।

अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि जांच के समय परिवहनित माल से सम्बन्धित सभी वैधानिक दस्तावेज मौजूद थे, जिनमें परिवहनित माल से सम्बन्धित सभी प्रविष्टियों का इन्द्राज किया हुआ था तथा उनका जमाखर्च नियमित लेखा पुस्तकों में दर्ज है। उनका कथन है कि प्रस्तुत दस्तावेजों के साथ संलग्न घोषणा पत्र एस टी 18ए क्रमांक 20427/17 व 20427/18 के कुछ कॉलम्स की पूर्ति माल प्रेषक की तकनीकी भूल के कारण नहीं हो पाई है, जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी का कोई दोषी मनोभाव नहीं है। उन्होंने कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा अपील संख्या 1600/2010/जयपुर मैसर्स अशोका एण्टरप्राइजेज, जयपुर बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उडनदस्ता, अजमेर के प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 13.03.2015 को उद्धृत करते हुए प्रस्तुत अपीलें स्वीकार करने का निवेदन किया।

राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों का पूर्ण विश्लेषण करते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति को यथावत रखा है, जो विधिक है। उनका कथन है कि नोटिस के जवाब में अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से यह स्वीकार किया गया है कि घोषणा पत्र एस टी 18ए के कुछ कालम्स रिक्त थे जबकि वास्तव में उनके सभी कालम्स रिक्त हैं, जबकि वक्त जांच परिवहनित माल के साथ घोषणा प्रपत्र एस टी 18ए पूर्ण रूप से भरा होना होना आज्ञापक है, उसके अभाव में अधिनियम की धारा 78 (2) संपर्कित नियम 53 का उल्लंघन होने के कारण कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 78 (5) के अन्तर्गत शास्तियों का आरोपण किया है, जो विधिक है। उनका कथन है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय मै 0 गुलजग इण्डस्ट्रीज बनाम वा 0 क्र 030, 18 टैक्स अपडेट 321 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि माल परिवहन के दौरान दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने अथवा अपूर्ण होने पर, कर चोरी की मंशा को प्रमाणित करना आवश्यक नहीं है। उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों का विवेचन करने के अपीलाधीन आदेश पारित कर आरोपित शास्ति को यथावत रखा है, जो विधि एवं न्याय संगत है। उनका यह भी

कथन है कि अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा कर बोर्ड के जिस निर्णय का अवलम्ब लेकर अपील स्वीकार करने का निवेदन किया गया है, उसमें नोटिस के जवाब में पूर्ण रूप से भरा हुआ घोषणा पत्र जवाब के साथ प्रस्तुत किया गया है किन्तु हस्तगत प्रकरण में नोटिस के जवाब में कोई घोषणा पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः उक्त न्यायिक दृष्टान्त हस्तगत प्रकरण में प्रासंगिक नहीं है। उन्होंने उक्त कथनों के आधार पर प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार कर अपीलाधीन आदेशों दिनांक 29.12.2009 को यथावत रखने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया, रेकॉर्ड का परिशीलन किया गया तथा न्यायिक दृष्टान्त पर मनन किया गया। हस्तगत प्रकरणों में कर निर्धारण अधिकारी वाहन संख्या जीजे. 12वी/6257 एवं वाहन संख्या जीजे 12वी/9770 को भिवाडी अलवर रोड पर जोकर जाकर चेक किया गया। वक्त चेकिंग वाहन में लदे माल से सम्बन्धित सम्बन्धित दस्तावेज मांगे जाने पर वाहन चालकों ने बिल एवं बिल्टियों के साथ घोषण पत्र एस टी 18ए संख्या 20427/17 एवं 20427/18 प्रस्तुत किये, जिनके समस्त कॉलम्स रिक्त थे, जो कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली के पेज 7 एवं 8 पर उपलब्ध हैं। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नोटिस जारी किये जाने पर अपीलार्थी की ओर से कोई नया घोषणा पत्र एस टी 18 प्रस्तुत नहीं किया गया है बल्कि यह कथन किया गया है कि यह तकनीकी भूल है। उक्तानुसार वक्त जांच परिवहनित माल के साथ संलग्न किये गये रिक्त घोषणा प्रपत्र न तो तकनीकी त्रुटि की श्रेणी में आते हैं और उन्हें न ही विधिमान्य दस्तावेज माना जा सकता है। इस प्रकार उक्त घोषणा प्रपत्र अपूर्ण घोषणा प्रपत्र की श्रेणी में आते हैं।

माननीय उच्चतम न्यायालय के मैसर्स गुलजग इण्डस्ट्रीज के न्यायिक दृष्टान्त 2007 (18) टैक्स अपडेट 321 में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार कर सम्बन्धी विधिक प्रावधानों के उल्लंघन के अपराध हेतु शास्ति आरोपण के लिये व्यवहारी की करापवचन की मनोदशा आवश्यक अंग (ingredient) नहीं है, जिसका सारगर्भित अंश निम्न प्रकार है :—

"Penalty u/s 78(5) has been prescribed for contravention of statutory obligation u/s/ 72(2) regarding goods transported and proceeding u/s 78(5) are neither criminal nor quasi criminal in nature. As such mensrea or guilty intention is not as essential condition for imposing penalty where movement of goods were carried with bland declaration forms 18A/18C or material particulars like description of goods were not filled in S.78(5) provided penalty for loss of revenue to the State and its object is not to punish offenders for committing economic offence."

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उपरोक्त प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपूर्ण/अविधिमान्य घोषणा प्रपत्र से माल राज्य में आयात किया जाना वेट अधिनियम की धारा 78(5) सपठित नियम 53 के प्रावधानों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन होने के कारण व्यवहारी के विरुद्ध धारा 78(5) के अन्तर्गत शास्ति आरोपणीय है। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा परिवहनित माल के साथ उपलब्ध अविधिमान्य घोषणा प्रपत्रों को मान्यता नहीं दी जा जाकर व्यवहारी के विरुद्ध धारा 78(6) सपठित नियम 53 के विधिक प्रावधानों के उल्लंघन के लिये धारा 78(5) के अन्तर्गत शास्तियों आरोपित किया जाना पूर्णतया विधिक एवं न्यायोचित है। विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों के तथ्य वर्तमान प्रकरण के तथ्यों से भिन्न होने के कारण इस प्रकरण में कोई सहायता प्रदान नहीं करते हैं, क्योंकि जो न्यायिक दृष्टान्त बहस के दौरान उद्भूत किया है उसमें नोटिस की पालना में पुनः पूर्ण रूप से भरा हुआ घोषणा पत्र प्रस्तृत किया गया है, जबकि हस्तगत प्रकरण में ऐसा नहीं है।

उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलीय अधिकारी एवं कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों को पुष्टि करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से प्रस्तुत दोनों अपीलें अस्वीकार की जाती है।



(सुनील शर्मा)
सदस्य